

# कार्यालय,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,राँची

## दर निर्धारण पुनर्निविदा सूचना

राँची जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एवं अन्य योजना अन्तर्गत उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए उच्च कोटि की गुणवत्ता वाले आई0एस0ओ0-9002 एवं आईएस0आई0 मार्का लगभग 2.00 (दो लाख) मेट्रिक टन सीमेंट की आवश्यकता होगी। सीमेंट का दर निर्धारण हेतु ख्याति प्राप्त सीमेंट निर्माताओं /कम्पनियों/अधिकृत वितरकों (मिनी प्लांट छोड़कर) से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। दर निर्धारण पुनर्निविदा सूचना को [www.ranchi.nic.in](http://www.ranchi.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

निविदादाताओं को निम्नलिखित शर्तों के साथ दर अंकित करना होगा :-

1. निविदा के साथ आई0एस0ओ0 -9002 एवं आई0एस0आई0 मार्का तथा गुणवत्ता के टेस्ट रिपोर्ट का प्रमाण पत्र, अन्य संबंधित कागजातों तथा आयकर, विक्रीकर आदि क्लीयरेंस प्रमाण-पत्रा की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. राँची जिला के सभी 20 (बीस) प्रखंड मुख्यालय तक सीमेंट आपूर्ति करने के लिए वैंट उत्पाद कर, अन्य सभी कर परिवहन ब्यय, हथालन ब्यय सहित दर उल्लेख करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,राँची के नाम से 50,000.00 (पचास हजार रूपये) मात्रा का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के तौर पर देना होगा । बिना जमानत राशि की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी या अन्य कार्य एजेन्सी द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निर्दिष्ट स्थल / प्रखंड मुख्यालय पर सीमेंट आपूर्ति करनी होगी।
5. निविदा दिनांक 10.05.07 के अपराहन 2.00 बजे तक उप विकास आयुक्त सह प्रबन्ध निदेशक,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,राँची द्वारा प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन 3.00 बजे निविदा देने वाले या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
6. बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त ,राँची को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त के आदेश से

उप विकास आयुक्त,  
राँची

ज्ञापांक...../जि0ग्रा0 दिनांक .....007

प्रतिलिपि व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान टाइम्स,राँची एवं दिल्ली/ राँची एक्सप्रेस,राँची/हिन्दुस्तान,राँची, प्रभात खबर,राँची एवं दैनिक जागरण, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सूचना का प्रकाशन दिनांक 03.05.07 के समाचार पत्रा के विज्ञापन कॉलम में डी.ए भी पी. दर पर करते हुए भुगतान हेतु विपत्र कार्यालय में समर्पित करें।

उप विकास आयुक्त,  
राँची